न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.प्रकरण) सिरोही

पीठासीन अधिकारी	:	**अजय शर्मा (DJ Cadre)**
जमानत आवेदन संख्या	:	343 / 2026 **(C.I.S No. 343/2026)**
F.I.R. सं.	:	76 / 2025
अन्तर्गत धारा	:	**8 / 15, 25, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट**
पुलिस थाना	:	बरलूट

बगताराम पुत्र पूनमाराम उम्र 26 वर्ष निवासी प्रागाणियो की ढाणी खारीयातला भाडखा पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

——प्रार्थी / अभियुक्त

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य **——अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस

उपस्थिति :

1. श्री फिरोज सिलावट, अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त
2. श्री सुरेश वैष्णव, विशिष्ठ लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक : 01.07.2026

1. **प्रार्थी / अभियुक्त बगताराम** की ओर से धारा 483 बीएनएसएस के अन्तर्गत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नकल जमानत प्रार्थना पत्र विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गई। बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गई।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी / अभियुक्त के कब्जे से कोई अवेध मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है तथा बरामद मादक पदार्थ से प्रार्थी / अभियुक्त का कोई लेना—देना नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 04.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अभी अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी / अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विशिष्ठ लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

4. उपरोक्त पर विचार किया एवं केसडायरी का अवलोकन किया।

5. केसडायरी के अनुसार दिनांक 10.10.2025 को समय करीब 01.40 ए.एम. पर थानाधिकारी जितेन्द्रसिंह पुलिस थाना बरलूट मय जाब्ता द्वारा सरहद मौजा जावाल नदी पर दौराने नाकाबंदी जावाल की तरफ से आती हुई एक सफेद रंग की क्रेटा कार नंबर जीजे—01—केएक्स—7222 को रूकवाकर चालक सीट पर बैठे अभियुक्त

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
03.07.2026 19:42
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

जुंजाराम व पास वाली सीट पर बैठे सहअभियुक्त हेमाराम को उतारकर कार की नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर उक्त कार के अन्दर काले पीले रंग के प्लास्टिक के कुल 9 कट्टो में कुल 152.120 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त बरामद हुआ जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत् अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था........ इत्यादि।

6. केसडायरी के अवलोकन से प्रकरण होता है कि उक्त क्रेटा कार जिसमें अवेध मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा था, उक्त कार का स्वामी प्रार्थी/अभियुक्त था। प्रकरण में बरामद अवैध डोडापोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से बहुत अधिक है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण जुंजाराम व हेमाराम का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है जिनसे प्रार्थी/अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और अगर ऐसे अपराधियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके हौसले बुलंद होंगे तथा उनके द्वारा पुनः इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृति किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व भारी मात्रा में अवैध डोडापोस्त की बरामदगी को दृष्टिगत रखते हुए इस स्टेज पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामतः **प्रार्थी/अभियुक्त बगताराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस **अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है।

(अजय शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन.डी.पी.एस.प्रकरण)
सिरोही

8. आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन.डी.पी.एस.प्रकरण)
सिरोही

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
03.07.2026 19:42
Steno Gr. I
(Authenticated Document)